

श्रमिकों के लिए **खुशखबरी**, अब मिलेगी 24,356 रुपए न्यूनतम मजदूरी

दिल्ली सरकार ने सभी अनुसूचित जातियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचनाएँ जारी की हैं। इससे तहत स्नातक और उससे ऊपर शिक्षित श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी 24 हजार 356 रुपए मिलेगी। जबकि पिछले साल यह न्यूनतम मजदूरी 23 हजार 836 रुपए थी। इसी प्रकार मैट्रिकुलेट स्नातक नहीं होने वाले श्रमिकों को अब न्यूनतम मजदूरी 22 हजार 411 रुपए मिलेगी जबकि पिछले साल तक उन्हें 21 हजार 917 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। वहीं ग्रे मैट्रिकुलेट श्रमिकों को अब 19 हजार 929 रुपए की

वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों को 19 हजार 929 रुपए की जगह अब 20 हजार 371 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। वहीं अकुशल श्रमिकों को 18 हजार 66 रुपए की

जगह अब 18 हजार 456 रुपए
न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
गौरतलब है कि श्रमिकों के लिए
बढ़ी न्यूनतम दरें 1 अप्रैल 2025
से देय हैं। दिल्ली सरकार का

मानना है कि वेतन में यह वृद्धि न केवल मुद्रास्फीति की दर को बेअसर करेगी बल्कि दिल्ली में काम करने वाले बड़ी संख्या में श्रमिकों को राहत देगी। जिन श्रमिकों को सरकार से घोषित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम भुगतान किया जाता है, वे संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त और उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपना दावा दायर कर सकते हैं, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो कि अधिसूचित मजदूरी दरों से कम मजदूरी के भुगतान से संबंधित दावों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए हैं।

सोएम रेखा गुप्ता ने बताया कि मॉडल टाउन के मेरी क्वीन स्कूल का गंभीर शिकायतों में आई है और इस मामले को पूरी संवेदनशीलता से लिया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि किसी भी स्कूल को यह अधिकार नहीं है कि वह बच्चों को उनके अभिभावकों को प्रेरण करे, स्कूल से निकालने की धमकी दे या मनमानी तरीके से पीएस बढ़ाए। इस संबंध में कानून और नियम तय हैं, और उनका पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

सीएम ने चेतावनी दी कि यदि कोई स्कूल अपनी मनमानी जारी रखता है और बच्चों या उनके परिवारों को मानसिक रूप से परेशान करता है, तो ऐसे संस्थानों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे और दोषी पाए जाने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। दिल्ली सरकार बच्चों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कोशिल, सोचने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी दे। चाहे स्मार्ट क्लासरूम हों, प्रशिक्षित शिक्षक हों, या स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं, हम हर स्तर पर शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं ताकि दिल्ली का हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके।

हम हर स्तर पर शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं ताकि दिल्ली का हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके।

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सफ़िदी जारी रखने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार श्रेणियों के लिए मौजूदा बिजली सफ़िदी जारी रखने को भी मंजूरी दी गई। ये चार श्रेणियाँ हैं- घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैबर वाहन वकील और वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित। कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि तिपटिया या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार

अपने निवासियों के लिए कई चीजें करना चाहती है, और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे। मंत्री पंकज ने स्पष्ट किया कि प्रतिपंघ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, न ही किसी भी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव। मौजूदा ईवी नीति लगभग आगले तीन से चार महीनों तक जारी रहने को उम्मीद है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सफ़िडी बंद करने के बारे में फैल रही गलत सूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों और वक़ीलों को लाभ पहुंचाने वाली सफ़िडी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही दंगा पीड़ितों को निरंतर सहायता सुनिश्चित की है।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने करेला-बवाना में वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र की स्थापना के लिए मंगलवार को प्रिजिडेंसी सभाहते पर हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए दिल्ली नगर निगम पौरविड और डीटीएल के बीच एक प्रिजिडेंसी सभाहते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आयुक्त अश्वनी कुमार, अतिरिक्त आयुक्त जितेन्द्र यादव, प्रमुख अमियां पाी सीएम एमनिस, डीटीएल और पावरविड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निगम पौरानिग ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि निगम ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक कदम आगे बढ़ाते हुए करेला-बवाना में एक अत्याधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। बताया गया कि यह संयंत्र प्रतिदिन 3,000 टन ठोस कचरा अपशिष्ट का प्रसंस्करण करेगा, जिससे शहर के कचरे के बोझ को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यह पहल स्वच्छ और हरित दिल्ली के लिए आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सभाहना लागू करने के निगम के निरंतर प्रयासों की एक बढ़ावाए।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक न्याय मंच



मेटर्स शिक्षक पॉलिसी को बंद करने के लिए एकजुट होकर निगम प्रशासन के विरोध कर रहें हैं। अध्यक्ष कुलदीप खत्री ने निगम के शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में वर्तमान शिक्षा निदेशक की मनमानी चल रही है जिसके चलते निगम में फिर से भ्रष्टाचार फल फूलने लगा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की एकजुटता के चलते शिक्षा विभाग डर गया।

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुये कहा है कि थाली के नाम पर इंडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने पर रोक लगाना संधी संधी गरीब छात्रों से उनकी शिक्षा छिने का कार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है और इंडब्ल्यूएस छात्रों का आरक्षण खत्म करके गरीब जनता पर कुठाराघात कर रही है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले के समय भाजपा सरकार द्वारा इंडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर रोक लगाने से हजारों छात्रों और अभिभावकों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। यादव ने कहा कि अगर कहीं थाली हो रही है तो शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी बनती है उसकी गहनता से जांच करे, न कि इंडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही बनाने पर रोक लगा दी जाए। यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस कदम का कांग्रेस पार्टी को बड़े शब्दों में निन्दा करती है और मांग करती है कि इस रोक को तुरंत हटाय जाए। उन्होंने कहा कि रेखा सरकार एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है। जबकि इन गनों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और इनके बेहतर शिक्षा के बजट में कटौती करके भाजपा सरकार ने अपनी मर्मा पहेली ही जाहिर कर दी। उसल इज्जत की भाजपा सरकार ने देश सहित राजधानी दिल्ली में भी अपना पूंजीपति वर्ग का स्वयं नियम लागू करना शुरू कर दिया है। यादव ने कहा कि भाजपा ने झूठे, लुभावने और बेबुनियाद वादे करके दिल्ली को सत्ता हथियाने के बाद एक-एक करके गरीब, वरिष्ठ, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की कमजोर तोड़वां पहेली फैसले ले रही है।

- पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.80 लाख
- घुमन्तु जाति के परिवारों को प्राथमिकता
- 1 मरला (30 वर्ग गज) प्लॉट मात्र ₹1 लाख में

बुकिंग

**सभी साइट्स वे
नक्शे उपलब्ध**

सरल बुकिंग
भुगतान विकल्प

**न्यूनतम बुकिंग राशि
मात्र 10,000 रुपये
बुकिंग की अंतिम तिथि
30.04.2025**

कॉल करें 0172-3520001 अथवा पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर जाएं

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा



सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on

 @diprharyana

सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हरियाणा
के Whatsapp चैनल से जुड़ने के लिए
यू आर कोड स्कैन करें



